Annexure - LXII

संख्या 469 / XXXI(13)G / 07—54(9) / 2006

प्रेषक,

एम0एम0 खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून दिनांक 25 जुलाई 2007

विषय— उत्तराखण्ड सरकार के कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के मेज पर उसके नाम एवं पद नाम की पट्टिका (Name Plate) लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि सुशासन एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किये गये प्राविधानों को साकार रूप देने के लिए आवश्यक है कि शासकीय / प्रशासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जनता को अपने कार्यों को सम्पन्न कराने में सहजता स्पष्ट रूप से आभास होना चाहिए, परन्तु देखने में यह आया है कि जन सामान्य अपने कार्य से सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने हेतु मुख्यालयों / कार्यालयों में भटकते रहते हैं। कई बार संबन्धित अधिकारी / कार्मिक की जानकारी प्राप्त न होने पर उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ता है। जिससे एक ओर जहां समय एवं धन का अपव्यय होता है वहीं दूसरी हो इससे प्रशासन का जनसामान्य के प्रति संवेदनशीलता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस समब्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिए गये हैं—

1. प्रत्येक मुख्यालयों / कार्यालयों में कार्यालय कक्ष के बाहर कक्ष संख्या, उसमें बैठने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम की पट्टिका लगायी जाय एवं सम्बन्धित को आंवटित कार्य के सम्बन्ध में पट्टिका पर उल्लेख की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी की मेज पर उसका नाम, पद का नाम, आवंटित कार्य के पट्टिका अनिवार्य रूप से रखी हो।
3. विशेष रूप से लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी अपने कक्ष के बाहर इसकी पट्टिका अनिवार्य रूप से लगाये।

इस सम्बन्ध में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपरोक्त निदेशों को कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्या 469 / XXXI(13)G / 07—56(9) / 2006 तददिनांक

प्रतिलिपि—

1. समस्त प्रमुख सचिव / समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे अपने विभागों में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, सूचना आयोग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(के0एस0 बिष्ट)
उपसचिव